न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

तारीख दायरा 05.12.2022 | तारीख फैसला [illegible]

पीठासीन अधिकारी :- [illegible] (आर.ए.एस.)

गजेन्द्र आत्मज सत्यनारायण जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :- श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट बाबत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

– निर्णय –

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते मे ख0न0 305 रकबा 1.00 है0, 241 रकबा 0.08 है0, 426 रकबा 0.36 है0, 430/476 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि मे वादी का नाम गजेन्द्र के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज किया हुआ है। यह कि वादी का नाम गजेन्द्र है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गजेन्द्र के स्थान पर सहवन से राजेन्द्र अंकित हो गया। जबकि वादी के परिवार के राशन कार्ड मे, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि में भी वादी का गजेन्द्र अंकित है। यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सबंध मे वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 01.12.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद मे वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते मे ख0न0 305 रकबा 1.00 है0, 241 रकबा 0.08 है0, 426 रकबा 0.36 है0, 430/476 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण दर्ज किये जाने ओर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

सहायक कलक्टर
दी[illegible]

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी ...सीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का राजेन्द्र के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते मे ख0न0 305 रकबा 1.00 है0, 241 रकबा 0.08 है0, 426 रकबा 0.36 है0, 430/476 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी — हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस)

गजेन्द्र आत्मज सत्यनारायण जाति गूर्जर निवासी बिसलाई तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :— श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब—रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादनी स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते मे ख0न0 305 रकबा 1.00 है0, 241 रकबा 0.08 है0, 426 रकबा 0.36 है0, 430/476 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से आज दिनांक 20.1.23 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
ाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
ाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
न्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
र्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
	0	0	मुत0	0	0
न	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद